यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस
सिविल राइट्स (नागरिक अधिकार) डिवीज़न

राष्ट्र ीय मूल के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध संघ सरकार द्वारा संरक्षण

भूमिका

संघीय कानून में व्यक्ति के राष्ट्र ीय मूल, नस्ल, रंग, धर्म, अपंगता, लिंग और पारिवारिक स्थिति के आधार पर उसके साथ भेदभाव करने की मनाही है। राष्ट्र ीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध करने वाले कानूनों द्वारा किसी व्यक्ति के साथ उसके जन्म स्थान, वंश, संस्कृति या भाषा के आधार पर भेदभाव करने को गैरकानूनी माना गया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को समान अवसर के अधिकार से इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे या उनका परिवार किसी अन्य देश से हैं, क्योंकि उनका नाम या उच्चारण का ढंग किसी राष्ट्र ीय मूल के समूह से जुड़ा है, क्योंकि वे किसी राष्ट्र ीय मूल के समूह के रीति–रिवाजों को अपनाते हैं अथवा किसी खास राष्ट्र ीय मूल के व्यक्ति के साथ उनका विवाह हुआ है या संबंध है।

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सिविल राइट्स डिवीज़न को चिंता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में राष्ट्र ीय मूल के आधार पर होनो वाले भेदभावों की, हो सकता है इसलिए रिपोर्ट नहीं होती हो क्योंकि इसके शिकार व्यक्तियों को अपने अधिकारों का पता नहीं हो या ये इस बात की शिकायत सरकार को करने से डरते हैं। यदि आपको लगता हो कि आप या आपके किसी परिचित के साथ राष्ट्र ीय मूल के आधार पर भेदभाव हुआ है और आप अपने कानूनी अधिकारों को पाने के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस पुस्तिका को पढ़ें।

यह पुस्तिका राष्ट्र ीय मूल के आधार पर होने वाले भेदभावों को निषिद्ध ठहराने वाले करने वाले कानूनों की व्याख्या करती है और कुछ उदाहरण बताती है। सिविल राइट्स डिवीज़न एवं इसकी शाखाओं के बारे में अधिक जानकारी इंटरनेट पर http://www.justice.gov/crt प्र ाप्त कर सकते हैं। भेदभाव संबंधी शिकायतें करने के लिए आप इस डिवीज़न से आगे बताए गए तरीकों से संपर्क कर सकते हैं।

अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानें

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सिविल राइट्स डिवीज़न द्वारा इन बातों में भेदभाव निषिद्धि ठहराने वाले संघीय कानूनों को लागू किया जाता हैः

शिक्षा
रोज़गार
आवास
कर्ज
सार्वजनिक आवास
कानून अनुपालन/पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार
मतदान
संघीय निधि प्र ाप्तकर्ता कार्यक्र म

यह प्र भाग (डिवीज़न) अपंगता के कारण होने वाले भेदभाव के निषेध के लिए कानूनों को लागू करता है, कुछ राज्यों या स्थानीय केंद्रों में रखे गए लोगों के नागरिक अधिकारों का संरक्षण करता है, तथा किसी के प्र ति उसकी नस्ल, रंग या राष्ट्र ीय मूल के कारण हुए अपराधों पर कानूनी कार्यवाही करता है।

कुछ मामलों में, इस प्र भाग द्वारा केवल तब कार्यवाही की जा सकेगी जब भेदभाव की कोई "परंपरा या व्यवहार" हो। "परंपरा या व्यवहार" का सामान्य अर्थ है कि ऐसे भेदभाव की एक से अधिक घटनाएं हों, और कोई ऐसी नीति या लगातार होने वाला ऐसा व्यवहार हो जो भेदभावजनक हो।

नागरिक अधिकारों का अपराधिक उल्लंघन

**नाइट क्लब के कार्यक्र म से लौटते समय एक दक्षिणी एशियाई मूल के युवक पर हमला हुआ। स्किनहेड गुट के एक सदस्य हमलावर ने नस्लवादी गालियां देते हुए शिकार व्यक्ति को क्लब के पार्किंग लाट में मुक्के और पाइप से पीटते हुए बेहोश कर दिया।*

**कू क्लक्स क्लान की एक बैठक में संगठन का एक सदस्य दूसरे से कहता ळै कि मेक्सिकन व पोर्ट रिकंस लोगों को*

"वहीं वापिस जाना चाहिए जहाँ से वे आए हैं" । उन्होंने हिस्पैनिक मूल के युवा दंपत्ति को डराने तथा उस इलाके को छोड़ कर चले जाने का दबाव डालने के लिए उनके घर के सामने आंगन में एक क्रास जलाया। क्रास जलाने के पहले एक आक्रांता ने पिस्तौल निकाली तथा एक पिस्तौल अपने साथी को दी ताकि शिकार व्यक्ति उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर पाए।

***एक अमरिकी कंपनी मैक्सिको के एक छोटे गांव में कामगारों की भर्ती करती है, उनसे अच्छे काम तथा अच्छे वेतन का वादा करती है। एक खाली टैंकर में यह कंपनी मैक्सिकन लोगों को चोरी छुपे यूनाइटेड स्टेट्स लाती है। अंततः जब ये लोग यू.एस. में आ जाते हैं, तो कामगारों को डराया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि यदि फैक्टरी छोड़ने की कोशिश की तो उन्हें मार डाला जाएगा।*

ये उदाहरण सिविल राइट्स कानूनों के फौजदारी उल्लंघन के उदाहरण हो सकते हैं। सिविल राइट्स डिवीज़न के आपराधिक अनुभाग (क्रिमीनल सेक्शन) द्वारा ऐसे आरोपियों पर मुकदमे चलाए जाते हैं जो किसी व्यक्ति के राष्ट्रीय मूल के आधार पर संघीय सरकार द्वारा संरक्षित उसके अधिकारों से उसे वंचित करने के लिए दबाव डालते हैं या हिंसा फैलाते हैं। उन अधिकारों में ये विषय शामिल हैं, आवास, रोज़गार, शिक्षा या सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग। आप क्रिमीनल सेक्शन को (202) 514-3204 पर फोन कर सकते हैं या इस पते पर लिख सकते हैं :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Criminal Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

अपंग लोगों के अधिकार

***मेडिकेड पाने वाले रोगियों को देखने वाले एक एचएमओ के पास मैक्सिकन अमेरिकी मूल की महिला आती है जो सेरेब्रल*

पैल्सी (दिमाग़ संबंधी रोग) से पीड़ित है। एचएमओ उसे दूसरे दिन आने को कहता है जबकि अन्य लोगों को वह तत्काल सहाय दे रहा है।

यह उदाहरण अपंगता के कारण भेदभाव को निषिद्ध ठहराने वाले तथा राष्ट्र ीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपकी अपंगता के कारण आपके साथ भेदभाव हुआ है तो आप डिसेबिलीटी राइट्स सेक्शन से नंबर (800) 514-0301 (बातचीत) या (800) 514-0383 (टीटीवाय) पर या ईमेल से ada.complaint@usdoj.gov. पर संपर्क कर सकते हैं। आप इन्हें लिख भी सकते हैं :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Disability Rights Section, NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

शिक्षा

**एक बच्चे को अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होती है पर उसका स्कूल उसे अंग्रेजी एवं अन्य विषय सीखने के लिए आवश्यक सहायता नहीं देता।*

**हैटियन बहुमत वाले स्कूल द्वारा ऑनर्स कक्षाएं नहीं दी जाती जबकि उस डिस्ट्रि क्ट के अन्य स्कूलों में, जिनमें हैटियन मूल के ज्यादा छात्र नहीं है, द्वारा आनर्स एवं एडवांस प्लेसमेंट पाठ्यक्र म प्र दान किए जाते हैं।*

**जब एशियाई अमरिकी विद्यार्थी अपने सहपाठियों द्वारा लगातार शब्दिक और शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत करते हैं तो स्कूल के अधिकारी उसके लिए कदम नही उठाते।*

ये उदाहरण किसी व्यक्ति के साथ राष्ट्र ीय मूल के आधार पर पूर्वप्र ाथमिक स्कूलों, सेकेन्डरी स्कूलों (माध्यमिक

और उच्चतर माध्यमिक स्कूल), और सार्वजनिक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भेदभाव को निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानून का उल्लंघन हो सकते हैं। इस प्र भाग के शैक्षणिक अवसरों से संबंधित विभाग द्वारा ईक्वल एजुकेशन अपोर्चुनिटीज़ एक्ट 1974 लागू किया जाता है, जिसके तहत आवश्यक है कि राज्य के शैक्षणिक एजेंसियों और स्कूल डिस्ट्रि क्ट्स को इंग्लिश लेंग्वेज लर्नर (ईएलएल) विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यक्र मों में हिस्सा लेने से रोकने वाले अवरोधों को दूर करे। यह विभाग उन संघीय कानूनों पर भी अमल करता है जो कि विद्यार्थियों का उत्पीडन या उनकी मूल राष्ट्र ीयता के कारण उनसे अलग व्यवहार किये जाने या दुर्व्यवहार से रक्षा करता है।

शिकायत करने के तरीके समेत अधिक जानकारी प्र दान करने के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.justice.gov/crt/edo/ पर जाएं। आप विभाग से सीधे से (202) 514-4092 पर या (877) 292-3804 पर फोन से संपर्क करें या education@usdoj.gov. पर ईमेल करें। आप इन्हें लिख भी सकते हैं :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Educational Opportunities Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

रोज़गार

*****ट्र ांज़िट (यातायात) विभाग के एक कर्मचारी के प्र ति उसका सुपरवाइज़र अक्सर नस्लवादी अपशब्द कहता है क्योंकि कर्मचारी का परिवार ईरानी मूल का है। पिछले सप्ताह बॉस ने बुलेटिन बोर्ड पर एक झूठा नोटिस लगाया जिसमें सभी को सूचित करते हुए लिखा कि कोई भी इस कर्मचारी पर विश्वास न करे क्योंकि वह आतंकवादी है।*

*****रूस से उत्प्र वास कर आई एक महिला एकाउंटेंट की नौकरी के लिए आवेदन करती है। मालिक उसका आवेदन*

इसलिए अस्वीकार कर देता है क्योंकि उसका उच्चारण अलग है जबकि वह अपने काम में पूरी तरह समर्थ है।

***खाद्य – सामग्री का संसाधन करने वाली एक कंपनी रोज़गार के लिए आवेदन पत्र भराने से पहले ऐसे लोगों से जो विदेशी जैसे दिखते हों, काम करने की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगती है; जबकि काकेशियन मूल के लोगों को रोज़गार संबंधी आवेदन पत्र भरने के पहले कोई दस्तावेज नहीं दिखाने पड़ते। इसके अलावा अन्य मूल के कर्मचारियों के दस्तावेजों की जाँ च बहुत बारीकी से की जाती है और इन दस्तावेजों को अक्सर रद्द कर दिया जाता है जबकि जन्म से कोकेशियन कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए वैसे ही दस्तावेज स्वीकार कर लिए जाते हैं।*

ये उदाहरण किसी कर्मचारी या रोजगार प्र ार्थी के साथ राष्ट्र ीय मूल के आधार पर भेदभाव वाले कानून का उल्लंघन हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई रोज़गार दाता किसी व्यक्ति के राष्ट्र ीय मूल के आधार पर उसके प्र ति अनुशासन, तंग करने, बर्खास्तगी, नौकरी देनो या पदोन्नति से मना करने की कार्यवाही नहीं कर सकता।

यदि आपके लगता है कि आपके रोज़गार दाता, श्रम संगठन या रोज़गार एजेंसी ने आपके राष्ट्र ीय मूल के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया है तो संपर्क करें:

Equal Employment Opportunity Commission
(800) 669-4000
(15 या इससे अधिक कर्मचारियों के रोज़गार दाता)

Office of Special Counsel
(800) 255-7688

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices, NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

osccrt@usdoj.gov
(4 या 14 कर्मचारियों के रोज़गार दाता)

Employment Litigation Section
(202) 514-3831

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Employment Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530
(राज्य या स्थानीय शासन के रोज़गार दाता जहाँ भेदभाव संबंधी गैरकानूनी परंपरा या व्यवहार हो)

साथ ही, कोई रोज़गार दाता किसी खास प्र कार के काम करने की अनुमति संबंधी दस्तावेज जैसे कि ग्रीन कार्ड मांग कर या किसी विशेष राष्ट्र ीय मूल के आवेदकों द्वारा दिए गए ऐसे दस्तावेज़ों को अमान्य कर, संघीय कानून का उल्लंघन कर सकता है। अधिक जानकारी या आरोप पत्र दाखिल करने के लिए प्र भाग के विशेष सलाहकार के कार्यालय (Office of Special Counsel) से ऊपर बताए गए पते या निःशुल्क टेलिफोन नंबर पर संपर्क करें।

आवास

*****_हवाई द्वीप मूल का एक परिवार एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है। किराया कंपनी के एजेंट द्वारा उन्हें कहा जाता है कि कोई अपार्टमेंट खाली नहीं है जबकि अपार्टमेंट खाली है और श्वेत आवेदकों को दिखाया जा रहा है।_

*****_मकान दलाल एक लैटिनो परिवार को मुख्यतः लैटिनो बस्तियों में स्थित मकान ही दिखाता है और उन्हें मुख्यतः श्वेत लोगों की बस्तियों में मकान दिखाने से मना कर देता है।_

ये उदाहरण संघीय फेयर हाउसिंग एक्ट का उल्लंघन हो सकते हैं। यह कानून राष्ट्र ीय मूल, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, अपंगता या पारिवारिक स्थिति (18 वर्ष से छोटे बच्चों के साथ रहना) के आधार पर आवास संबंधी मामलों में भेदभाव को निषिद्ध ठहराता है। भेदभाव संबंधी निजी शिकायतें आवास एवं शहरी विकास विभाग (Department of Housing and Urban Development - HUD) को (800) 669-9777 पर की जा सकतीं हैं। यदि आपको लगता है कि भेदभाव करने में कोई परम्परा या खास व्यवहार अपनाया जा रहा है तो डिवीज़न के हाउसिंग एंड सिविल इन्फोर्समेंट सेक्शन से (202) 514-4713 पर या (800) 896-7743 पर संपर्क करें या fairhousing@usdoj.gov पर ईमेल कर संपर्क करें। आप इस पते पर लिख भी सकते हैं:

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

कर्ज़

*****लैटिनो मूल की महिला से समान वित्तीय पृष्ठभूमि एवं उसी प्र कार के लोन लाने वाले एक श्वेत पुरूष ग्राहक के मुकाबले अधिक व्याज दर एवं अधिक फीस ली जातीं हैं।*

यह उदाहरण किसी व्यक्ति के राष्ट्र ीय मूल, नस्ल, रंग, लिंग, धर्म, अपंगता या वैवाहिक स्थिति या सार्वजनिक सहायता के स्रोत से उसकी आय के कारण उसके साथ भेदभव को निषिद्ध ठहराने वाले संघीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपको राष्ट्र ीय मूल या अन्य संरक्षित (ऊपर वर्णित जैसे) कारणों से कर्ज़ देना अस्वीकार किया गया है तो आप कर्ज़दाता से आपके आवेदन को नामंजूर रने के कारण लिखित में मांग सकते हैं। यदि कर्ज़ घर के मॉर्टगेज, मकान सुधार या अन्य आवास संबंधी कारणों के लिए है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग

एंड अरबन डेवलपमेंट (Department of Housing and Urban Development) को (800) 669-9777 पर शिकायत कर सकते हैं। यदि कर्ज़ मकान के अलावा किसी अन्य प्र योजन (जैसे कि कार लोन) हेतु हो तो आप इस कर्ज़दात्री संस्था की नियंत्रण एजेंसी, फेडरल ट्र ेड कमिशन (Federal Trade Commission) या अपने राज्य के एटोर्नी जनरल के कार्यालय को शिकायत कर सकते हैं। आप हाउसिंग एंड सिविल इंफोर्समेंट सेक्शन को आपके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी पाने या शिकायत करने के लिए (202) 514-4713 या (800) 896-7743 पर फोन कर सकते हैं या fairhousing@usdoj.gov पर ईमेल कर सकते हैं। आप इस पते पर लिख सकते हैं:

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

सार्वजनिक सुविधाएं

**एक रेस्टोरेंट में एशियाई मूल के अमेरिकी लागों के एक समूह को खाना परोसे जाने के लिए एक घंटे से अधिक समय तक प्र तीक्षा करना पड़ती है जबकि श्वेत ग्राहकों को त्वरित सेवा मिलती है।*

**एक होटल में आए हैटियन मूल के अमेरिकी लोगों को कहा गया कि उन्हें क्रे डिट कार्ड की बजाए नकद पैसा देना पड़ेगा, अन्य ग्राहकों के मुकाबले उनसे अधिक पैसा लिया गया, और उन्हें समान सुविधाएं, जैसे कि व लौलिए व साबुन नहीं दी गई।*

ये उदाहरण राष्ट्र ीय मूल, नस्ल, रंग या धर्म के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं के प्र दान को निषि द्ध ठहराने वाले संघीय कानूनों का उल्लंघन हो सकते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं में शामिल हैं होटल, रेस्टोरेंट और मनोरंजन स्थल। यदि आपको लगता है कि आपको सार्वजनिक सुविधा स्थल पर प्र वेश की अनुमति नहीं दी गई

या समान आनंदप्र द सुविधाएं नहीं मिलीं और वहां भेदभाव की परंपरा या पद्धति है, तो हाउसिंग एंड सिविल इंफोर्समेंट सेक्शन से (202) 514-4713 पर या (800) 896-7743 पर संपर्क करें या यहाँ ईमेल करें fairhousing@usdoj.gov। आप इस पते पर लिख भी सकते हैं :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार

**लैटिनो लोगों द्वारा कार चलाते समय किए गए यातायात संबंधी कुछ विशेष उल्लंघनों के लिए पुलिस अधिकारी लगातार ही उन्हें रोकते हैं, जबकि ऐसे ही उल्लंघनों के लिए श्वेत ड्र ाइवरों को बहुत कम रोकते हैं।*

**वियतनामी मूल के आदमी से सड़क पर पूछताछ करते हुए एक पुलि अधिकारी इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह आदमी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाने के कारण उसके प्र शनों के उत्तर नहीं दे पाता। अधिकारी उस आदमी के बर्ताव को खराब मान कर उसे गिरफ तार कर लेता है।*

ये उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान द्वारा प्र दत्त समान संरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो सकते हैं। ये ओमनिबस क्र ाइम कंट्र ोल एंड सेफ स्ट्र ीट्स एक्ट, 1968 का भी उल्लंघन हो सकते हैं। यहाँ कानून राष्ट्र ीय मूल, नस्ल, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर पुलिस विभाग जिसे यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा संघीय सरकार का धन दिया जाता है, द्वारा भेदभाव करने कर निषेध करता है। वे सिविल राइट्स एक्ट, 1964 के टाइटल VI का भी उल्लंघन कर सकते हैं, जो संघीय वित्तीय सहायता, संपत्ति प्र ाप्त करने सहित, प्र ाप्त कानून अनुपालक एजेंसियों द्वारा

भेदभाव किया जाना निषिद्ध ठहराता है। इसमें अधिकतर राज्य की और स्थानीय कानून अनुपालन एजेंसियाँ शामिल हैं।

निजी भेदभाव संबंधी शिकायतें आप कोओर्डिनेशन एंड कम्प्लायन्स सेक्शन (Federal Coordination and Compliance Section) को यहाँ भेज सकते हैं :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

या Federal Coordination and Compliance Section से (888) 848-5306 या (202) 307-2678 (टीडीडी) पर संपर्क कर सकते हैं।

निजी भेदभाव संबंधी शिकायतें आप न्याय संबंधी कार्यक्रमों के कार्यालय को इस पते पर भी भेज सकते हैं : Office for Civil Rights, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice, Washington, D.C. 20531 या Office of Justice Programs से (202) 307-0690 पर संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करने की परम्परा या व्यवहार किसी पुलिस विभाग में हो तो ऐसी शिकायतों की जाँच तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए विशेष विधिगत कार्यवाही कार्यालय है। शिकायत दर्ज कराने के लिए स्पेशियल लिटिगेशन सेक्शन से (202) 514-6225 पर या (877) 218-5228 पर संपर्क करें या इस पते पर लिखें :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Special Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

संस्थाओं में रखे गए लोगों के नागरिक अधिकार

**जो बंदी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं उनके विरूद्ध की जा रही अनुशासनिक सुनवाई का जेल द्वारा अनुवाद नहीं किया जाएगा।*

**जो लागे अंग्रेजी नहीं बोलते उनको उपचार प्र दान करने के लिए राज्य के मनोचिकित्सा अस्पताल के पास कोई साधन नहीं हैं।*

ये उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान द्वारा प्र दत्त समान संरक्षण के नियमों का उल्लंघन हो सकते हैं। स्पेशल लिटिगेशन सेक्शन द्वारा राज्य या स्थानीय सरकारी संस्थाओं जैसे कि कारागृह, जेल, किशोरों हेतु सुधार केंद्र, विकासशील अपंगता या मानसिक पिछड़ापन सुधार केंद्र व नर्सिंग होम में रखे गए लोगों के लिए उनके संवैधानिक अधिकारों को लागू कराया जाता है।

यदि आप किसी ऐसे संस्थान में रह रहे हों और आपको लगता है कि वहाँ राष्ट्र ीय मूल के आधार पर भेदभाव करने की परम्परा या व्यवहार है, तो आप स्पेशल लिटिगेशन सेक्शन को (202) 514-6255 पर या (877) 218-5228 पर फोन करें। आप इस पते पर लिख सकते हैं :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Special Litigation Section, PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

संघीय सहायता प्र ाप्त कार्यक्र म

**एक स्थानीय समाजसेवा एजेंसी कोरियन भाषा में जानकारी या कार्य संबंधी प्र शिक्षण प्र दान नहीं करती जबकि स्थानीय निवासियों का एक चौथाई भाग केवल कोरियन भाषा ही बोलता है।*

*****_लैटिनो लोगों की अधिक आबादी वाले क्षेत्र में स्थित एक अस्पताल में आउटपेशेंट क्लिनिक के कर्मचारी नियमित रूप से लैटिनो मरीज़ों का मज़ाक उड़ाते हैं, उनकी बोली पर टिप्पणी करते हैं, और कभी – कभी उन्हें सेवाएं प्र दान करने में देर भी करते हैं। लैटिनो मूल के रोगियों से कहा जाता है कि डॉक्टर से मिलने के लिए अपने अनुवादक को पहले ही साथ लेकर आएं।_

ये उदाहरण राष्ट्र ीय मूल, नस्ल या रंग के आधार पर संघीय निधि प्र ाप्तकर्ता कार्यक्र मों द्वारा भेदभाव को निषिद्ध ठहराने वाले कानूनों का उल्लंघन हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके साथ राज्य या स्थानीय सरकार की किसी एजेंसी या संघीय सरकार से निधि प्र ाप्त करने वाले किसी संस्थान द्वारा भेदभाव किया गया है, तो आप डिवीज़न के फेडेरल कोओर्डिनेशन एंड कम्प्लायन्स सेक्शन को (888) 848-5306 या (202)307-2678 (टीडीडी) पर फोन कर सकते हैं। आप इन्हें लिख भी सकते हैं, पता है :

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

फेडेरल कोओर्डिनेशन एंड कम्प्लायन्स सेक्शन द्वारा आपकी शिकायत संघीय सरकार को उस निधि प्र दाता एजेंसी को भेजी जाएगी जो अपने हितग्राहियों में भेदभाव निषेध लागू कराने के लिए प्र ाथमिक रूप से जिम्मेवार है।

मतदान

*****_एक बस्ती में स्पेनिशभाषि यों की संख्या बहुत ज्यादा है, वहाँ के मतदाताओं के अनुरोध के बावजूद चुनाव अधिकारी चुनाव संबंधी सामग्री, जिनमें पंजीयन फॉर्म एवं मतपत्र के नमूने शामिल हैं, स्पेनिश भाषा में प्र दान करने से मना करते हैं अथवा स्पेनिश भाषियों को अपना अनुवादक मतदान केंद्र में साथ लाने की अनुमति नहीं देते।_

******एक निर्वाचन अधिकारी एक अश्वेत मतदाता जिसका उच्चारण विदेशी लगता है तथा जिसका सरनेम अनजाना है, से उसकी अमरिकन नागरिकता संबंधी दस्तावेज के प्र माण के बारे में पूछता है जबकि श्वेत मतदाताओं से नागरिकता संबंधी प्र माण नहीं मांगता।*

चुनाव अधिकारियों का ऐसा आचरण मतदान में भेदभाव करने वाले संघीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। वोटिंग राइट्स (मतदान अधिकार) एक्ट राष्ट्र ीय मूल के आधार पर भेदभाव का स्पष्ट तौर पर निषेध नहीं करता। फिर भी, इस कानून के प्र ावधानों द्वारा किसी नागरिक की नस्ल या उसके रंग ही नहीं वरन किसी अल्पसंख्यक भाषाई समुदाय का होने पर भी उसके मतदान संबंधी अधिकारों को सीमित करना या उनसे वंचित करना गैरकानूनी है। साथ ही, इस कानून की यह भी अपेक्षा है कि कुछ क्षेत्राधिकारों में चुनाव सामग्री एवं सहायता अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी प्र दान की जानी चाहिए। इसके अलावा, वोटिंग राइट्स एक्ट की धारा 208 मतदाताओं, जो अपन अंधत्व, अपंगता या नहीं पढ़ लिख पाने के कारण सहायता चाहते हों, अनुमति देती है कि वे अपनी सहायता के लिए किसी (नियोक्ता या यूनियन के प्र तिनिधि के अलावा) को साथ लाएं। इसका अर्थ यह है कि कोई मतदाता अंग्रेजी में छपे मतपत्र को पढ़ने में अनुवाद संबंधी सहायता के लिए अपने मित्र या परिजन को साथ में ला सकता है। कुछ स्थानों पर चुनाव अधिकारियों के लिए जरूरी है कि वे जानकारी जैसे कि मतदाता पंजीयन व मतपत्र, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा(ओं) में प्र दान करें। मतदान करने में मतदाता की सहायता के लिए दुभाषिए भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा संघीय निरीक्षक या मतदान विभाग के कर्मी मत की प्र क्रि या में भेदभाव की शिकायत और लघुमति की भाषा में जानकारी उपलब्ध नहीं होने के शिकायत के संबंध मतदान के दिन के कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। विभाग चुनाव प्र क्रि या जैसे बड़े या जिला स्तर की योजनाओं में परिवर्तन भी कर सकता है जिनसे लघुमति की मतदान शक्ति कम हो सकती है।

यदि आपको लगता है कि आपके साथ मतदान करने में भेदभाव किया जा गया या मतदान करने में सहायता

नहीं दी गई तो आप डिवीज़न के वोटिंग सेक्शन से (800) 253-3931 पर या voting.section@usdoj.gov पर ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं। आप इन्हें लिख सकते हैं, पता है

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Voting Section, NWB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530

इस पुस्तिका में बताए गए कार्यालयों को जब आप फोन करेंगे तब फोन पर उत्तर अंग्रेजी में दिया जाएगा। यदि आपको अनुवादक चाहिए तो आप आपरेटर को बताएं कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं। आपरेटर आपसे कुछ देर प्र तीक्षा करने को कहेंगे ताकि अनुवादक की व्यवस्था की जा सके। कृप्रया फान बंद नहीं करें। एक भाषा अनुवादक सेवा के जरिए हम सभी भाषाएं बोलने वाले लोगों की सहायता करने को सक्षम हैं।

नोटः अपंग या अपाहिज व्यक्तियों के लिए या दस्तावेज बड़े अक्षरों, सुनने हेतु टेप, कम्प्यूटर डिस्क एवं ब्रेल लिपि में भी उपलब्ध होगा।

इस पुस्तिका की प्र तिलिपि बनाना हो तो संकोच नहीं करें।

जारी किया August 2010

Federal Protections Against National Origin Discrimination

Hindi

www.justice.gov/crt

United States Department of Justice
Civil Rights Division

950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530